परियोजना वित्तीयन

कार्यादेश

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 में एनसीआरपीबी के कार्य विनिर्दिष्ट हैं। धारा 7(ड) के अनुसार, एनसीआरपीबी के कार्यों में से एक कार्य केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनी विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए व्यवस्था करना और निगरानी करना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8(ड) के अनुसार, बोर्ड समाविष्ट योजनाओं का चयन कर सकता है और उनका अनुमोदन कर सकता हैतथा इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध करा सकता है।

2. उपर्युक्त धाराओं के प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्र के संतुलित विकास को प्राप्त करने के ओवरआर्चिंग लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों के भीतर राज्य के सरकारी अभिकरणों द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई विभिन्न परियोजनाओं के लिए बोर्ड सुलभ ऋण उपलब्ध कराता रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत मूलभूत अवसंरचना विकास, सीवरेज, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, विद्युत, परिवहन, सामाजिक अवसंरचना जैसे अस्पताल और अन्य के व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गई ऋण सहायता की पद्धति 25: 75 है; 25% ऋणदायी अभिकरणों का योगदान होता है और परियोजना लागत का अधिकतम 75% एनसीआर योजना बोर्ड से लिया गया ऋण होता है। इस समय बोर्ड 10 वर्ष की कालावधि के लिए दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराता है। मूल राशि के भुगतान के लिए दो वर्ष की ऋणस्थगन अवधि है और ऋण पर ब्याज की दर संवितरण के समय विद्यमान ब्याज की दर होती।

स्वीकृति की प्रक्रिया और प्रविधि

3. एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 7 (ई) और 8 (ई) के अनुसार, एनसीआरपीबी एनसीआर और सीएमए में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए घटक राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

4. परियोजना के लिए राज्य वित्त समिति/आईए बोर्ड/राज्य सरकार के आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन की आवश्यकता है।

5. उधार लेने वाली/कार्यान्वयन एजेंसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तीन सेट (एनसीआरपीबी को एक अग्रिम प्रति सहित) के साथ निर्धारित ऋण आवेदन में ऋण सहायता

के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए और प्रतिभागी राज्यों में स्थापित संबंधित एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठों के माध्यम से एनसीआरपीबी दिल्ली को एक सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रकोष्ठ क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय/कार्यात्मक योजना एवं मास्टर प्लान के अनुरूप परियोजना के मूल्यांकन के बाद और क्षेत्रीय योजना के संदर्भ में परियोजना की शहरी तकनीकी-इको व्यवहार्यता के साथ परियोजना रिपोर्ट एनसीआरपीबी कार्यालय को अपने संतोषजनक मूल्यांकन नोट के साथ प्रस्तुत करते हैं। ।

6. योजना/ईएसएमएस/वित्तीय पहलुओं के लिए एनसीआरपीबी में डीपीआर का आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाता है।

7. मूल्यांकन के पश्चात परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह (पीएसएमजी – 1) की बैठक में प्रस्तुत किया जाता हैं।

<u>संवितरण प्रक्रिया</u>

8.पीएसएमजी बैठक में परियोजना को मंजूर करने के पश्चात विभिन्न दस्तावेज, जैसेकि ऋण करार, प्रत्याभूति दस्तावेज अर्थात राज्य सरकार की गारंटी, बैंक गारंटी और एस्क्रो करार एवं राज्य सरकार/बैंक गारंटी के एवज में सम्पत्ति को गिरवी रखने से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ऋण जारी किए जाते हैं। राज्य सरकार को ऋण प्रदान करने के मामले में, ऋण और उनके द्वारा अंतिम किस्त के भुगतान होने तक प्रत्येक वर्ष उस पर ब्याज की किश्त के भुगतान के संबंध में पर्याप्त बजट आबंटन के प्रावधान के संबंध में एक घोषणा पत्र प्राप्त किया जाता है।

9.ऋणों का संवितरण, पूरी परियोजना अवधि के दौरान, अग्रिम भुगतान के रुप में किया जाता है। ऋण करार और प्रतिभूति दस्तावेज पर हस्ताक्षर के तुरन्त बाद प्रथम किश्त का अग्रिम प्रदान किया जाता है। अगला अग्रिम डीपीआर में किए गए अनुमानों के आधार पर और गत किश्त के लिए 'समुपयोजन प्रमाण-पत्र' प्राप्त होने पर और भू-टैग की गई तस्वीरों के साथ राज्य/एजेंसी का समकक्ष हिस्सा भुगतान होने पर ही प्रदान किया जाता है। एनसीआरपीबी परियोजना समाप्त होने के बाद कार्यान्वयन एजेंसियों से परियोजना में सृजित परिसंपत्तियों की जानकारी के साथ परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करता है

बोर्ड के परियोजना स्वीकरण एवं निगरानी समूहों का गठन

बोर्ड द्वारा निधियन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजनाओं के प्रति अलग-अलग परियोजनाओं की पहचान करने के लिए बोर्ड के परियोजना स्वीकरण एवं निगरानी समूहों (पीएसएमजी) का गठन किया गया है ताकि इनके लिए किश्तें जारी की जा सकें और परियोजनाओं की प्रगति की सतत रुप से समीक्षा की जा सके। बोर्ड के कार्य, शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन इस समूह को किया गया है।

पीएसएमजी-1			
गजट अधिसूचना	के-14011/13/85-एनसीआरपीबी दिनांक 8.7.1985		
गठन			
	सचिव	शहरी विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
	वित्तीय सलाहकार	शहरी विकास मंत्रालय (सचिव (व्यय) के स्थान पर), 20.11.1985 को आयोजित बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार	सदस्य
	सलाहकार	योजना आयोग अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
	संयुक्त सचिव	शहरी विकास मंत्रालय में एनसीआर के प्रभारी	सदस्य
	सचिव	एनसीआर राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रभारी	सदस्य
	मुख्य आयोजक	टीसीपीओ, नई दिल्ली	सदस्य
	सदस्य सचिव	एनसीआर योजना बोर्ड	संयोजक
शक्तियां	परियोजना मंजूर करने के लिए	रु. 5 करोड से अधिक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं	
	बोर्ड की ओर से सर्वेक्षण और अध्ययन प्रारंभ करने के लिए	रु. 20 लाख से अधिक (24.05.2006 को आयोजित बोर्ड की 29वीं बैठक के निर्णय के अनुसार संशोधित)	

पीएसएमजी-2			
गजट अधिसूचना	के-14011/13/85-एनसीआरपीबी दिनांक 27.2.1997		
गठन			
	सदस्य सचिव	एनसीआर योजना बोर्ड	अध्यक्ष
	संयुक्त सचिव (वित्त)	शहरी विकास मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
	प्रतिनिधि	शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
	प्रतिनिधि	योजना आयोग	सदस्य
	सचिव	एनसीआर राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रभारी	सदस्य
	संयुक्त निदेशक (पीएमसी)	एनसीआर योजना बोर्ड	संयोजक
शक्तियां	परियोजना मंजूर करने के लिए	रु. 5 करोड तक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं	
	बोर्ड की ओर से सर्वेक्षण और अध्ययन प्रारंभ करने के लिए	रु. 20 लाख तक (24.05.2006 को आयोजित बोर्ड की 29वीं बैठक के निर्णय के अनुसार संशोधित)	